

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

59 आदि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/शि.स्था.4/भाग-2/404/2025/13776
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/7/2025

1. समस्त संभागीय उपायुक्त,
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश ।
2. सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक,
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश ।
3. समस्त प्राचार्य,
उ.मा.वि./हाईस्कूल,
जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र.अति.शि./ 2025-26/199 दिनांक 26-06-2025

--00--

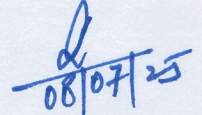
विषयांतर्गत गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार व्यवस्था की जाना है:-

- 1- नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए संदर्भित पत्र अनुसार School Management and Development Committee (SMDC) के माध्यम से रिक्त पदों की गणना कर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था Guest Faculty Management System (GFMS) के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।
- 2- जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है, उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाए:-
 - (अ) विभागीय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य
 - (ब) जिला शिक्षा अधिकारी
 - (स) जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र

उपरोक्त समिति SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल में से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करेगी ।

- 3- विद्यालयों में विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक एवं अन्य सह-अकादमिक पदों के लिये भी उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार आमंत्रित किया जाए ।
- 4- सांदीपनि विद्यालयों में भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए ।
- 5- विभागीय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि eHRMS पोर्टल पर दर्ज जिले के स्वीकृत, भरे, रिक्त पदों के अनुरूप ही अतिथि शिक्षक रखे जाएं, किसी भी स्थिति में जिले के रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नियोजित नहीं किये जाएं ।
- 6- अतिथि शिक्षकों का मानदेय अनिवार्यतः उसके पदस्थापना विद्यालय से तथा संवर्गवार निर्धारित शीर्ष मद (यथा प्राथमिक शिक्षक-2773, माध्यमिक शिक्षक-3496 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक-0581) से ही आहरित किया जाना सुनिश्चित करें ।
- 7- बिन्दु क्रमांक 5 एवं 6 का कड़ाई से पालन किया जाए, उक्त निर्देशों की अवहेलना पायी जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।
- 8- अन्य निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के समान लागू होंगे ।

(संलग्न-संदर्भित पत्र)


आयुक्त

जनजातीय कार्य,

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शि.स्था4/भाग-2/404/2025/13777

भोपाल, दिनांक 09/7/2025

प्रतिलिपि:

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 2- निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 3- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 4- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
- 5- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, मध्यप्रदेश ।
- 6- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
- 7- समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश ।
- 8- समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश ।
- 9- समस्त संकुल प्राचार्य, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश ।



आयुक्त

जनजातीय कार्य,

मध्यप्रदेश

**लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल-462023**

क्रमांक/अति. शि./2025-26/ 199
प्रति

भोपाल, दिनांक 26/06/2025

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

- संदर्भ:-** 1. संचालनालय का पत्र क्र./127 दिनांक 01.05.2025।
2. संचालनालय का पत्र क्र./2013 दिनांक 04.07.2019।

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाईन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिपेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें-

1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण :-

- **लॉन्ग टर्म रिक्तियां (Long Term)-** शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग-टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जायेगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा, कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं (सेक्शन) एवं समयसारणी (टाईम-टेबिल) में कुल कालखण्ड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है, कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखण्ड एवं अधिकतम 6 कालखण्ड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें।
- **अतिरिक्त रिक्तियां-** ऐसे नियमित शिक्षक जो B.ED/M.ED पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।

2. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही-

- 2.1 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जायेगा।
- 2.2 संदर्भित पत्र क्र-2 की कण्डिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा।

anup

2.3 अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय-सारणी-

प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समयसारणी-			
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही-			
क्र.	गतिविधियाँ	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
01	लॉग-ऑन रिक्त अपडेशन	शाला प्रभारी	26.06.2025 से 29.06.2025 तक
02	अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना	संकुल प्राचार्य	26.06.2025 से 29.06.2025 तक
03	अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन।	राज्य स्तर से	30.06.2025
04	विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना।	आवेदक द्वारा	30.06.2025 से 02.07.2025 तक
05	शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना।	शाला प्रभारी द्वारा	01.07.2025 से 03.07.2025 तक

- 2.4 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पेनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पेनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे।
- 2.5 यदि किसी पेनल में गतवर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष 1 रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जायेगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
- 2.6 विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आई.डी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 2.7 विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक/व्यावसायिक/शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को Reject करने की कार्यवाही पोर्टल पर करेंगे।
- 2.8 अतिथि शिक्षक ऑनलाईन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 02.07.2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समयसीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक/उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
- 2.9 शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाईन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर, हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे।

Amul

3. प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिये आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिये गये विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा जिसकी संभावित समयसारणी निम्नानुसार है—

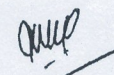
3.1 द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समयसारणी—(संभावित)		
क्र.	गतिविधियाँ	समयसीमा
01	शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन।	05.07.2025
02	इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना।	05.07.2025 से 07.07.2025 तक
03	शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन।	09.07.2025
04	अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना।	10.07.2025 से 12.07.2025 तक
05	शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर Accept/Reject कर Accept की स्थिति में उपस्थित कराना।	10.07.2025 से 12.07.2025 तक

4. सामान्य निर्देश —

- 4.1 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाईन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाईन आमंत्रित नहीं किया जावेगा।
- 4.2 अतिथि शिक्षक की सेवायें पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 4.3 अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रतिदिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के एप "हमारे शिक्षक" के माध्यम से शाला प्रारम्भ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज की जायेगी तथा शाला बन्द होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जायेगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाईन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
- 4.4 अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयसीमा में उपस्थिति एप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


(कै.कै.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/अति. शि./2025-26/ १००

भोपाल, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.